न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

दावा न0 32/2019

1. रुपसिंह पुत्र शिवबक्स सिंह राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)
–वादी

बनाम

1. सरिता कुमारी पत्नी स्व0 भानू प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
2. कार्तिका पुत्री स्व0 भानू प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
3. राधिका पुत्री स्व0 भानू प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
4. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1. श्री झाबरसिंह अधिवक्ता–वादी
2. श्री द्वारकाप्रसाद अधिवक्ता–प्रतिवादी न0 1 ल03
3. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22-3-2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मण्डावा की सरहद में कृषि भूमि हाल ख0न0 351 रकबा 1.75 है0, ख0न0 354 रकबा 3.70 है0, ख0न0 355 रकबा 1.37 है0, ख0न0 356 रकबा 1.45 है0, ख0न0 362/2027 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.32 है0 पुख्ता स्थित है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादिया न0 1ल0 3 के नाम दर्ज है। जबकि उक्त कृषि भूमि को वादी का पिता शिवबक्स सिंह काश्त किया करता था तथा जागीरी प्रथा के समय जागीरदारों को फसल की चौंप दिया करता था लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रुप से प्रतिवादी न0 1 ल0 3 के नाम दर्ज हो गया। वादी व वादी के पिता अशिक्षित व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। जब वादी ने अपने कब्जे शुदा भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 11.3.2019 को प्राप्त की तब जाकर वादी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए [illegible] प्रतिवादीगण न0 1 ल0 3 ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। आप अपने स्तर पर ही राजस्व रि[illegible] दुरुस्त कराओ। प्रतिवादीगण 1 ल0 3 ने तथा उसके पूर्वजों ने वादी व [illegible] के विरुद्ध कोई वाद पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया तथा वादी के पिता तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का आज तक शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी को यह वाद पत्र घोषणार्थ दुरुस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। न्यायालय को उक्त वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण 1 ल0 3 के विरुद्ध घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम मण्डावा की सरहद में कृषि भूमि हाल ख0न0 351 रकबा 1.75 है0, ख0न0 354 रकबा 3.70 है0, ख0न0 355 रकबा 1.37 है0, ख0न0 356 रकबा 1.45 है0, ख0न0 362/2027 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 ल0 3 के नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रतिवादी न0 4 को का निवेदन किया है। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर को मय दावा प्रति भेजकर जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। दिनांक प्रतिवादी न0 1 ल0 3 के द्वारा जरिये वकील अपना जवाब दावा पेश किया। जिसके वाद पत्र की धारा स्वीकार करते हुये वाद वादी डिक्री करने पर प्रतिवादी न0 1 ल0 3 आपत्ति/ एतराज नहीं होना अपने जवाब दावा में वर्णित किया गया। प्रतिवादी न0 4 से श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता के द्वारा आदेशिका दिनांक 7.9.20 के जवाब दावा के रुप में अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार दावा में रिकार्ड किया जा सकता है व राजस्व हानि न हो तो कोई एतराज नहीं है। तत्पश्चात वादी द्वारा स्वरुप में अपना स्वयं का चीफ शपथ पत्र पेश किया। दोनों अधिवक्ताओं की सहमति पर सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 74–2077 प्रदर्श –1 पेश की जिसके अनुसार कार्तिका पुत्री भानुप्रकाश सिंह हिस्सा 1/3, कार्तिका पुत्री भानुप्रकाश सिंह हिस्सा 1/3 व सरिता कुमार पत्नी भानुप्रकाश सिंह हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

मैनें वाद–पत्र में व जवाब दावे व साक्ष्य शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुये बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। वादी का कथन है कि वाद–पत्र में वर्णित आराजी पर पहले मेरे पूर्वजों द्वारा व अब मेरे द्वारा शांति पूर्ण कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण 1 ल0 3 के द्वारा इस विवादित भूमि बाबत कोई विवाद ना तो पहले हुआ ना ही वर्तमान में है इसलिए राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर वर्तमान रिकार्ड वादी के नाम दर्ज करने का कथन किया है। जिसके तर्क में वकील प्रतिवादीगण ने कोई आपति नहीं जताई है। अतः दोनों पक्षों की सहमति पर न्यायालय राय में वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर/ पंजीयन शुल्क वादी से जमा ली जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता हूं। लिहाजा :–

आदेश

वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/ पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मण्डावा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 में वर्तमान खातेदारान प्रतिवादीगण 1 ल0 3 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर ख0न0 351 रकबा 1.75 है0, ख0न0 354 रकबा 3.70 है0, ख0न0 355 रकबा 1.37 है0, ख0न0 356 रकबा 1.45 है0, ख0न0 362/2027 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.32 है0 सहित राजस्व ग्राम मण्डावा के वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, झुंझुनूं को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh K
Date: 2021.12.23 12:23:14 IS
Reason: Self Attested

(शैलेश खैरवा)
उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एव 7 जा.दी.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

वा न0 32/2019

उनवान

रुपसिंह बनाम सरिता कुमारी वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः– 22/3/2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री झाबरसिंह एवं प्रतिवादी न0 1 ल0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारकाप्रसाद तथा राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 22.3.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि ग्राम मण्डावा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 में वर्तमान खातेदारान प्रतिवादीगण 1 ल0 3 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर ख0न0 351 रकबा 1.75 है0, ख0न0 354 रकबा 3.70 है0, ख0न0 355 रकबा 1.37 है0, ख0न0 356 रकबा 1.45 है0, ख0न0 362/2027 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.32 है0 सरहद राजस्व ग्राम मण्डावा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, झुंझुनू को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-3-2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Kha
Date: 2021.12.23 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	45
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	45
योग	49		